दहेस (के स्तर)

५

आदेश

18/2/16

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपीलांट ने आराजी रामोद S/o चुन्ना से की थी जिसका नामान्तरण उनके हक में नहीं किया गया था। रेस्पाडेन्ट ने नाजायज फायदा लेते हुए उनका नाम दर्ज रिकार्ड रहन से पुनः विक्रय का नामान्तरण पंचायत से तरमीम करवा लिया। प्रकरण में हमने बहस सुनी रिकार्ड का अवलोकन से प्रार्थी अपीलान्ट को पुनः सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। नामान्तरण से 617 ~~रिकार्ड~~ 1.7 एकड़ जमीन विक्रय की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास को प्रतिप्रेषित की जाकर आदेश दिया जाता है प्रार्थी अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारों को पुनः साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित करें।

18.2.16

उपखण्ड मजिस्ट्रेट